



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/283
दिनांक: 08.07.2026

को,
Plexconcil के सभी सदस्य/ सभी CoA सदस्य
सभी प्लास्टिक उद्योग सदस्य

एमएसएमई के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए कोलैटरल सपोर्ट पर वेबिनार

तारीख: 10 जुलाई, 2026 (शुक्रवार) | समय: 03:00pm-4.00pm | वर्चुअल प्लेटफॉर्म: सिस्को वेबएक्स

प्रिय महोदय/महोदया,

प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्सकॉन्सिल) की ओर से नमस्कार!

हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि **प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (PLEXCONCIL) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE)** के साथ मिलकर **MSMEs के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए कोलैटरल सपोर्ट पर एक वेबिनार** आयोजित कर रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित **सीजीटीएमएसई**, वर्ष 2000 से अपनी क्रेडिट गारंटी योजना के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को संपात्तिक-मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान कर रहा है। पिछले 25 वर्षों में, सीजीटीएमएसई ने ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और एमएसई के लिए संस्थागत वित्त तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के हिस्से के तौर पर, CGTMSE ने **डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT), मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री** के साथ मिलकर **स्पेशल क्रेडिट गारंटी स्कीम - एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए कोलैटरल सपोर्ट** शुरू की है। इस स्कीम का मकसद गारंटी सपोर्ट देकर एलिजिबल MSMEs के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट तक आसान पहुंच को आसान बनाना है, जिससे कोलैटरल की ज़रूरत कम हो और इंटरनेशनल ट्रेड में MSMEs की ज़्यादा भागीदारी हो सके।

इस बारे में, **प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (PLEXCONCIL)** को एक अवेयरनेस प्रोग्राम करके खुशी हो रही है, ताकि पार्टिसिपेंट्स को स्कीम की खास बातें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फायदे और ऑपरेशनल पहलुओं से परिचित कराया जा सके। यह प्रोग्राम MSMEs को यह समझने का मौका देगा कि वे अपनी एक्सपोर्ट क्रेडिट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की इस पहल का फायदा कैसे उठा सकते हैं।

वक्ता:

- श्री धीरज कुमार, डीजीएम, सीजीटीएमएसई
- श्रीमती संगीता पुजारी, सीनियर मैनेजर, सीजीटीएमएसई

वेबिनार की जानकारी:

- तारीख: **10 जुलाई, 2026 (शुक्रवार)**
- समय: दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
- वर्चुअल प्लेटफॉर्म: सिस्को वेबएक्स

हम इंडस्ट्री के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे MSMEs के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए कोलेटरल सपोर्ट के बारे में और जानने के लिए जुड़ें।

कृपया नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके रजिस्टर करें: (कोई पार्टिसिपेशन चार्ज नहीं)

रजिस्ट्रेशन लिंक:

https://theplastics.webex.com/weblink/register/rd5c0010a73ea_e66ecd80b5b8c05523a1

किसी भी मदद या सवाल के लिए, बेझिझक संपर्क करें:

सुश्री शिल्पा तटकरे

टैलीफ़ोन: +91-22-4017 0000

ईमेल: shilpa@plexconcil.org

इस जानकारी को अपने ऑर्गनाइज़ेशन में संबंधित व्यक्ति के साथ शेयर करें।

हम जल्द से जल्द आपका कन्फर्मेशन मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं।

सम्मान,

श्रीभाष दासमोहपात्रा

कार्यकारी निदेशक

डीआईएन: 02587694

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद

(मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड)

डायनेस्टी बिजनेस पार्क, बी विंग, ग्राउंड फ्लोर

अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट,

मुंबई - 400 059 - भारत

फ़ोन: +91 22 40170000

वेबसाइट: www.plexconcil.org

हमारे पर का पालन करें:

फेसबुक : [यहां क्लिक करें](#) **इंस्टाग्राम**: [यहां क्लिक करें](#) **लिंकडइन**: [यहां क्लिक करें](#) **यूट्यूब**: [यहां क्लिक](#)

करें x: [यहां क्लिक करें](#)